

## FABA- Tribal Sub Plan Audit Party No. 1


- दल के सदस्य 1.Sh. Srikant Kastwar/Sr AO (01/6786)  
2.Sh. Raj Kumar Gupta/AAO (02/10822)  
3.Sh. Rajesh Singh/AAO (02/10771)

| क्र.                                   | कार्यालय                                     | कार्य दिवस                           | अवधि                     |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------|
| प्रस्थान: भोपाल                        |  | दिनांक 07.03.2021                    |                          |
|  | आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, म0प्र0<br>भोपाल | 9                                    | 08.03.2021 से 19.03.2021 |
| प्रस्थान: ग्वालियर                     |  | दिनांक 19.03.21 (रात्रि)/ 20.03.2021 |                          |
| अवकाश :- मार्च- 7,11,13,14,20,21,28,29 |  |                                      |                          |

टीप-

- फाबा के लिए कवरेज अवधि तीन वर्ष अर्थात् वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की होगी।
- प्रथम दिन इकाई के प्रमुख के साथ प्रारंभिक बैठक में फाबा के उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा के संबंध में चर्चा कर तथा बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय अनुभाग को प्रेषित करें तथा अंतिम दिन समापन बैठक में फाबा के दौरान अप्रस्तुत एवं अप्राप्त अभिलेख/ज्ञापन का उल्लेख करते हुए बैठक का कार्यवृत्त ई-मेल के माध्यम से मुख्यालय को प्रेषित करें।
- FABA दल FABA से संबंधित योजना/कार्यों का समस्त प्राथमिक अभिलेखों की स्कैन कॉपी/फोटो कॉपी एकत्र कर उसके आधार पर ज्ञापन जारी करेगा। फाबा से संबंधित आवंटन-व्यय, बैंक लेन-देन, रोकड़ बही, पंजियां, फाइलें, कार्य पंजियों के अतिरिक्त PFMS, MIS, Portals से जानकारी की हार्ड एवं सॉफ्टकॉपी में एकत्र करेगा।
- FABA के दौरान आधार अभिलेखों का स्कैनिंग समुचित रूप से करें ताकि दुबारा आधार अभिलेखों के लिए इकाई पर नहीं जाना पड़े।
- FABA के दौरान वांछित अभिलेखों को स्पष्ट रूप से इंगित करते हुए मांग की जाएं। योजना/नियम अनुसार संधारित होनेवाले अभिलेख/पंजी संधारित न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं करने पर तत्काल समूह अधिकारी को सूचित करें।
- फाबा की लीड पार्टी द्वारा दिए गए निर्देशों/चेकलिस्ट/Guidelines के अनुसार कार्य किया जाना सुनिश्चित करें।
- Any other work as and when directed by higher authorities should also be done by the team members.

(प्राधिकार:- प्रधान-महालेखाकार के आदेश दिनांक-03.03.2021)

  
उप महालेखाकार  
एमजी-2